जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

कार्यालय : समन्वयक, प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट – 2014

दूरभाष : (का.) 0291–2652653, 2635598 (फेक्स)

क्रमांक : जनाविवि / पीटीईटी / 2014 / 381 नवम्बर 17, 2014

प्राचार्य
समस्त बी.एड. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
राजस्थान।

महोदय / महोदया,

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : जनाविव / पीटीईटी / 2014 / 374 दिनांक 11–11–2014 के क्रम में सूचित किया जाता है बी.एड. पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी के प्रविष्ठ प्रशिक्षणार्थियों की शुल्क राशि का 75 प्रतिशत महाविद्यालयों को महाविद्यालयों द्वारा इस कार्यालय को बिना किसी सूचना के शीघ्र भेजा जा रहा है। इस हेतु अभी उन्हें कोई सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है। महाविद्यालयों में प्रविष्ठ अनुसूचित जाती (SC) / अनुसूचित जनजाती (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) से सम्बन्धित सूचनाओं के संकलन हेतु महाविद्यालयों को इन श्रेणियों के शुल्क छूट के पात्र अभ्यर्थियों का निर्धारण कर दिनांक **30 नवम्बर, 2014 तक** डाटा ऑन लाईन किया जाना है। महाविद्यालय में प्रविष्ठ इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा यदि पूर्व में आय प्रमाण–पत्र जमा नहीं किये गये हैं तो महाविद्यालय ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को सूचना देकर दिनांक **28 नवम्बर, 2014 सांय 5.00 बजे तक** महाविद्यालय में जमा करने हेतु नोटिस जारी करें अर्थात उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करनें के पश्चात ही डाटा ऑन–लाईन करें। यदि पूर्व में किसी पात्र अभ्यर्थी का बिना आय प्रमाण–पत्र के डाटा ऑन–लाईन कर दिया गया है तो उसमें अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व बदलाव किया जा सकता। इस प्रकार निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आय प्रमाण–पत्र स्वीकृत नहीं करें। दिनांक **30 नवम्बर, 2014 सांय 5.00 बजे तक डाटा ऑन–लाईन कर उनका प्रिन्ट लें तथा 30 नवम्बर, 2014 के पश्चात इस कार्यालय को मय शपथ–पत्र प्रेषित करें।** जैसाकि ऊपर सूचना दी जा चुकी है कि यह कार्यालय महाविद्यालयों को बिना किसी सूचना के सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों की जमा शुल्क राशि का 75 प्रतिशत भुगतान महाविद्यालयों की शीघ्र भेज रहा है। इस भुगतान में यदि कोई त्रुटि या महाविद्यालय द्वारा प्रदत प्रवेश में बाद में प्रेषित सूचना के अनुसार कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऐसी त्रुटि या कम / अधिक भुगतान का अगले भुगतान में समायोजन किया जायेगा। विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा इस कार्यालय में बार बार निम्नलिखित बिन्दुओं पर पूछताछ की जा रहा है कि :

1. क्या अब आय प्रमाण–पत्र स्वीकार कर लिये जाए?
   - इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय 28–11–2014 सांय 5.00 बजे तक आय प्रमाण–पत्र जमा करें।
2. क्या विशेष पिछड़ा वर्ग भी शुल्क मुक्ति का हकदार है?
   - हाँ, विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) भी शुल्क मुक्ति का हकदार है। यदि इस श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों की पारिवारिक वार्षिक आय 1.00 लाख से कम है तो उन्हें छूट हेतु पात्र माना जाकर ऑन–लाईन डाटा में इस श्रेणी में दर्शाया जावे।
3. क्या सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों से भी आय प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है?
   - नहीं, इस श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों से भी आय प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस श्रेणी को इस योजना में कोई लाभ देय नहीं है। प्रशिक्षणार्थी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ही आय दर्शायें।
4. क्या अनुसूचित जाती (SC) / अनुसूचित जनजाती (ST) (जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख से **अधिक** है) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) (जिनकी

वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख से **अधिक** है) के समस्त प्रशिक्षणार्थियों से भी आय प्रमाण–पत्र मांगा जाए?

- ऐसे प्रशिक्षणार्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण–पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है ताकि ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को अनाश्यक रूप से प्रामण–पत्र बनाने के परिश्रम एवं खर्चे से बचाया जा सके, परन्तु महाविद्यालय ऐसे प्रशिक्षणार्थियों से उनके पारिवारिक आय के बारे में उनसे लिखित सूचना जरूर प्राप्त करें तथा इसे अपने रिकॉर्ड में संधारित कर रखें ताकि भविष्य में किसी परेशानी से बचा जा सके।

5. क्या ऑन–लाईन की गई सूचना में बदलावा किया जाना संभव है?

- जब तक महाविद्यालय द्वारा दी जा रही इस सूचना को अन्तिम रूप से सबमिट नहीं कर देता तब तक इसमें बदलावा किया जा सकता है।

6. इस सूचना को कब तक ऑन–लाईन किया जाना है?

- इस सूचना को दिनांक **30–11–2014 सांय 5.00 बजे तक** ऑन–लाईन किया जाना है ताकि आगे की कार्यवाही हेतु तैयार डाटा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जा सके।

7. क्या प्रशिक्षणार्थियों के शुल्क चालान, जाति प्रमाण–पत्र, आय–प्रमाण पत्र एवं अन्य अन्य दस्तावेज या उनकी प्रतियाँ पीटीईटी कार्यालय को भिजवाये जाने हैं।

- नहीं, दस्तावेजों को महाविद्यालय अपने स्तर पर सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा दस्तावेजों को या उनकी साफ सुथरी प्रतियों का रिकॉर्ड महाविद्यालय में संधारित कर सुरक्षित रखें। पीटीईटी कार्यालय/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार इन्हें आवश्यकता पड़ने पर मांगा जाने पर महाविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

8. पीटीईटी कार्यालय को क्या सूचना भिजवाई जानी है?

- पीटीईटी कार्यालय को महाविद्यालय के सूचना अग्रेषण पत्र के साथ 1) निर्धारत प्रपत्र में नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर शपथ–पत्र जिस पर महाविद्यालय के प्रचार्य के निर्धारित स्थान हस्ताक्षर मय मोहर हों तथा शपथ–पत्र नॉटेरी द्वारा सत्यापित हों, 2) चार प्रकार की सूचियाँ जो कि ऑन–लाईन दिये गये डाटा से प्रिन्ट ली हुई हो। कृपया ध्यान दें कि ये सूचियाँ मैन्यूल तैयार नहीं करें। केवल ऑन–लाईन से प्रिन्ट प्रति ही इस कार्यालय द्वारा स्वीकार्य होगी एवं आगे के प्रोसेस में काम में ली जायेगी। ऐसा नहीं होने पर महाविद्यालय को शुल्क हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

9. पीटीईटी का पत्र क्रमांक : जनाविव/पीटीईटी/2014/374 दिनांक 11–11–2014 किस साईट पर उपलब्ध है?

- पत्र पीटीईटी की वेबसाईट ptetadmissions.nic.in पर उपलब्ध है।

10. प्रशिक्षणार्थियों का डाटा किस साईट पर ऑन–लाईन किया जाना है?

- प्रशिक्षणार्थियों का डाटा वेबसाईट intraptet.nic.in पर ऑन–लाईन किया जाना है। महाविद्यालय अपने लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड से अपने एकाउन्ट में प्रवेश करें तथा प्रशिक्षणार्थियों के डाटा को Admission Data for Fee Transfer पर क्लीक कर एक एक केन्डीडेट का डाटा सावधानीपूर्वक ऑन–लाईन करें।

11. डाटा ऑन–लाईन कर दिया गया है परन्तु सूची प्रिन्ट नहीं हो रही है?

- प्रिन्ट हेतु प्रावधान प्रोसेस में है शीघ्र ही शुरू किया जायेगा जिसमें चार अलग–अलग सूचियों के प्रिन्ट की व्यवस्था होगी।

भवदीय

RDave

(रमन कुमार दवे)

समन्वयक, पीटीईटी–2014